

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में,

सीएमपी सं. 426/2019

पन्ना देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य...

.....विपक्षीगण

कोरम: माननीय श्री न्यायाधीश आनंद सेन।

माध्यम: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री अक्षय कुमार महतो, अधिवक्ता।

विपक्षी के लिए: श्री अनिल कुमार सिंह, एससी-5 के एसी

--- -

05/10.12.2021: यह याचिका डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 6026/2016 की पुनःस्थापना के लिए दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4.2.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक -1 और 2 की मूल प्रति, जिसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करेगा और उसने रिट याचिका में इस आशय का एक हलफनामा दायर किया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील बिना शर्त माफी मांगते हैं।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है।

नतीजतन, रिट याचिका डब्ल्यूपी (एस) संख्या 6026/2016 को इसकी मूल फाइल में पुनः स्थापित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)

अनु/- सी. पी.